

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
17/019	136 L.R Act	मुजौम	इबड़ा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जगमोहन		बनाम	सोबान

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

29/5/019  
 अनिमजद भाषी द्वारा प्रा.पत्र डा.तरीत धारा 136 L.R Act विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिहता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाके तथा अप्रार्थीगण को नदिये समान तलब कर पत्रावली दिनांक 17/6/019 को पेश हो।

15/7/019  
 19/8/019  
 1/10

17/6/019  
 पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। प्रतिवादी का बरत तारील समान प्रारत। वास्ते रिपोर्ट। पत्रावली दिनांक 15/7/019 को पेश हो।

15/7/019  
 पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। वदलील से रिपोर्ट अप्रारत। पुनः लिखा जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 19/8/019 को पेश हो।

26/8/19  
 पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। तहसील से रिपोर्ट अप्रारत। पुनः लिखा जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 11/10/019 को पेश हो।

01/10/019  
 आज पीलसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत रिशति में दिनांक... 30/10/019... को पेश हो।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारां)

4  
 आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में  
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिश्ति में  
 दिनांक 29/6/21 को पेश हो।

95  
 पीटारी  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

29/6/21

आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में  
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिश्ति में  
 दिनांक 4/8/21 को पेश हो।

95  
 पीटारी  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

**प्रशासन गाँवों के अभियान-2021**

12/11/21


पत्रावली आज प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 शिबिर  
 मूलोंन पर पेश हुई। प्राणी द्वारा न्यायालय में प्रकरण  
 मू. राजकु अर्धनियम 1956 की धारा 136 CR Act के  
 तहत प्रकरण पेश किया जिसमें प्राणी मानम पप्पू के  
 स्थान पर जगमोहन पुत्र मोतीलाल करने का निर्देश  
 किया है। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार इबड़ा से ली गई।  
 तहसीलदार इबड़ा की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसील  
 दार इबड़ा की रिपोर्ट के आधार ग्राम मूलोंन तहसील  
 इबड़ा के खता संख्या 84 व 129 के सदरकतेदार के  
 स्थान लिए गए तथा ग्राम मानम अभि में जातकारी  
 करने पर प्राणी का नाम पप्पू व जगमोहन दोनों एक  
 ही व्यक्ति है। प्राणी का खता नम पप्पू एवं दलमोहन  
 में जगमोहन दर्ज है। अतः प्राणी मानम पप्पू पुत्र मोती  
 के स्थान पर जगमोहन उर्फ पप्पू पुत्र मोती दर्ज करने की  
 अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार इबड़ा की अनुशंसा के आधार  
 पर ग्राम मूलोंन के खता संख्या 84 व 129 में प्राणी  
 मानम मू. राजकु अर्धनियम 1956 की धारा 136 के

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

शान्त गौतम प्राणी बनाम पप्पू पुत्र गौती के श्मशान पर  
 जगमोहन उर्फ पप्पू पुत्र गौती दर्ज करने के आदेश  
 तहसील कार दफ्तर के दिये जाते हैं तदनुसार  
 पालन सुनिश्चित करें। आदेश प्रथम से जारी है।  
 पत्र बली केशल शुभार शबर दारिबल दफ्तर है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा, जिला बारां (राज.)

ISOS-नामनिष्ठ

# “प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

छबड़ा जिला बारां (राज०)

## -: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....भूलोन..... व भू.अ.नि. जगमोहन..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां/सायब तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....भूलोन..... तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत्.....2074-77..... में खाता संख्या...84, 129..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	भूलोन	84 129	पप्पू पुत्र मोती	पप्पू उर्फ जगमोहन पुत्र मोतीलाल उर्फ मोती



M  
(मनीषा निवारी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/.....के.ए. भूलोन.....

दिनांक...12/11/2021.....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार.....के.ए. भूलोन..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....जगमोहन उर्फ पप्पू पुत्र मोतीलाल निवारी भूलोन..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

M  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी.....  
छबड़ा, जिला बारां (राज०)